भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 166

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन

166. श्री देवेन्दर गौड टी. :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने सूचीबद्ध कंपनियों, सार्वजनिक और निजी, की सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका वर्ष 2014-15 और 2015-16 में कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन/मूल्यांकन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सी.एस.आर. के अधीन कौन-कौन सी गतिविधियां अनुमेय हैं और क्या सी.एस.आर. के अधीन अतिरिक्त कार्य जोड़ने की योजना है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख): 460 सूचीबद्ध कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के नमूने के तौर पर आकलन से यह स्पष्ट हुआ है कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 409 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कुल मिलाकर वर्ष 2014-15, (जो विधान के अधीन कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है) के दौरान सीएसआर पर 6337 करोड़ रुपए व्यय किया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने उनके अधिदेशित सीएसआर निधि का लगभग 71% व्यय किया है जबकि निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा 79% व्यय किया गया है, जिसका सारांश नीचे दिया गया है-

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्रं.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय	अधिदेशित सीएसआर व्यय	उपयोग प्रतिशतता
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60	3359.84	71.03
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76	4987.63	79.21
	योग	460	6337.36	8347.47	75.92

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन विषयों और क्षेत्रों की सूची दी गई है जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों के अधीन कार्यकलाप चलाए जा सकते हैं। वर्तमान में इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कोई अन्य मद जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक

इस अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलाप और उसमें किए गए संशोधन

किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची अधिनियम की अनुसूची-VII में दी गई है। एक संशोधित अनुसूची-VII दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित की गई थी। उसके पश्चात् अनुसूची में तीन बार संशोधन किए गए हैं। अनुसूची-VII के अधीन अद्यतन सूची नीचे दी गई है:

(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन; **निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना ओर केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वच्छता** और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषत: बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों अन्यथा समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाओं का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए आवास और छात्रावासों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केन्द्रों का निर्माण और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय सुस्थायित्व, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और **जल की गुणवत्ता बनाए रखना जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए गठित स्वच्छ गंगाकोष में अंशदान करना शामिल** है;

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजिनक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय करना;

(vii) ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरालंपिक खेलकूद और ओलंपिक खेलकूदों को वढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अंशदान करना;

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए अंशदान या निधियां प्रदान करना;

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएं।

(xi) **स्लम क्षेत्र विकास।**

स्पष्टीकरण: इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' पद से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी कानून के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

<u>फुट नोट:</u>

मद संख्या (xi) और मदें (i) और (iv) में तिरछे अक्षरों में वाक्य खंडों को दिनांक 27.02.2014 के अनुसूची-VII संबंधी राजपत्र अधिसूचना के परिणामस्वरूप संशोधनों के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-VII में अंत:स्थापित किया गया है:

(क) पहला संशोधन 31 मार्च, 2014 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा अनुसूची के मद (i) में **निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल** शामिल किया गया था।

(ख) दूसरा संशोधन 06 अगस्त, 2014 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा अनुसूची के मद (xi) के रूप में **स्लम क्षेत्र विकास** अंत:स्थापित किया गया था।

(ग) तीसरा संशोधन 24 अक्तूबर, 2014 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा (क) अनुसूची के मद संख्या (i) में 'स्वच्छता' के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित **स्वच्छ भारत कोष में अंशदान** और (ख) अनुसूची के मद (iv) में गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित **स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान** शामिल किया गया था।

*****